न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–43/2018
CIS NO.-TS-179/2018

अनसुईया देवी..वादिनी

बनाम

मृतक काशी दुबे के विधिक वारिसान एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
13.09.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादिनी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 07.02.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादिनी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01(क) झुन्ना दुबे उर्फ वेद प्रकाश दुबे की मृत्यु दिनांक 24.07.2022 हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01(क) झुन्ना दुबे उर्फ वेद प्रकाश दुबे अविवाहित थे तथा ये अपने पीछे किसी विधिक वारिसान को छोडकर नही मरे है। अतः वादपत्र से मृत प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01(क) झुन्ना दुबे उर्फ वेद प्रकाश दुबे का नाम कलमजद करना अतिआवश्यक है। अतः मृत प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01(क) झुन्ना दुबे उर्फ वेद प्रकाश दुबे का नाम कलमजद करने की कृपा करे। प्रतिवादीगण की ओर से वादिनी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन को खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01(क) झुन्ना दुबे उर्फ वेद प्रकाश दुबे की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। वादिनी के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन	

लगातार 13.09.2023	में शपथपत्र दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादिनी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01(क) झुन्ना दुबे उर्फ वेद प्रकाश दुबे का नाम कलमजद करें वाद दिनांक 12.10.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	